नौ मीटर ऊंचाई के भवनों के नक्शे स्वप्रमाणन से होंगे पास

कैबिनेट के फैसले के तहत आवास विभाग ने जारी किया शासनादेश

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। प्रदेश में नौ मीटर ऊंचाई तक के भवनों के नक्शे स्वप्रमाणन से पास होंगे। कैबिनेट में हुए फैसले के तहत आवास विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। इस सुविधा के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में 7.5 मीटर और मैदानी में नौ मीटर तक के भवन शामिल हैं। योजना का लाभ केवल उन्हीं कालोनियों में मिल सकेगा, जो प्राधिकरण से पास होंगी।

शासनादेश के तहत, यह व्यवस्था केवल एकल आवासीय नक्शे पास कराने के लिए स्वीकृत लेआउट के भूखंडों पर निर्माण को ही होगी। बेसमेंट व स्टिल्ट फ्लोर के भवन में स्वप्रमाणन प्रणाली लागू नहीं होगी। नक्शे के आवेदन के लिए भू-स्वामित्व के संबंध में घोषणापत्र और अभिलेख जैसे रजिस्ट्री, लीज डीड आदि देनी होगी। आर्किटेक्ट या ड्राफ्टमैन से तैयार कराया हुआ नक्शा, सेफ्टी प्रमाणपत्र, आवेदक और पंजीकृत आर्किटेक्ट का संयुक्त घोषणापत्र देना होगा। सभी दस्तावेज तैयार करने के बाद वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। इसका शुल्क भी ऑनलाइन जमा होगा। शुल्क जमा कराने के बाद ईजी एप पर आवेदक को घोषणा करनी होगी कि वह नियमानुसार और नक्शे के अनुसार ही निर्माण करेंगे।

घोषणा के बाद ईजी एप में संबंधित आर्किटेक्ट को उसके डिजिटल सिग्नेचर से मानचित्र निकालने के लिए अधिकृत किया जाएगा। वह मानचित्र निकाल सकेंगे। शुल्क जमा करने के बाद सात दिन के भीतर नक्शा डाउनलोड कर सकेंगे।

एक साल में देनी होगी रिपोर्ट

स्वप्रमाणित नक्शा जारी होने के एक साल में भूतल का काम करते हुए रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। पंजीकृत आर्किटेक्ट से पूर्णता प्रमाणपत्र जारी कराकर अपलोड करना होगा। भवन निर्माण से पहले अगर कोई आपत्ति है, तो उसे आवेदक को खुद ही दूर करानी होगी।

नोडल अधिकारी तैनात होंगे

सभी प्राधिकरणों में नक्शों की स्वप्रमाणन प्रणाली लागू करने के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जो प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का काम करेंगे। निर्माण का आकस्मिक निरीक्षण भी प्राधिकरण के अधिकारी करेंगे।